नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली आज सहायक कलेक्टर अदालत में पेश। तिथि गवाहान पर प्रस्तुत। प्रार्थी वकील उपस्थित।

प्रार्थी वकील का कहना है कि प्रा.प. की धारा 2 की आवश्यकता के 1526, 1527, 1528 वाले नकल प्रथम परिस्थिति जिसके विरुद्ध खा.नं. 1991 रकबा 15 वि. 1192 रकबा 15 वि. 1193 रकबा 16 वि. 1194 रकबा 15 बि. जो 3 बीघा 1 वि. से बना है प्रार्थी के अस्थिति हार बयनामा खातेदार बहादुर कांकुर्गी आदि फर्जी कि. नकल नकल में बहादुर कांकुर्गी का सम्पूर्ण 1/10 हि. खरीद किया गया था। इसलिए बयनामा दि. 14.4.1994 को दिया गया परन्तु उसके बाद होटल में का कार्य चालू है। का.वि. वर्ष 2060 बाद से समय बहादुर का नाम हुआ, यथावत रखा किया गया। जो गलत चला आ रहा है। अतः प्रार्थी बहादुर के नाम चले आ रहे गलत दुरुस्त 1/10 हि. को नामान्तरण कर बहादुर के नाम पर 1/10 हि. खातेदार घोषित किया जावे।

हमने वादी प्रार्थी वकील को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो पाया कि खा.नं. 1525, 1526, 1527, 1528 वाले नकल प्रथम परिस्थिति जिसके विरुद्ध खा.नं. 1991, 1192, 1193, 1194, 3 बीघा 1 बिस्वा से बने हैं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थी तेजसिंह ने, अप्रार्थी बहादुर आदि के खाते भाव- मि. जल्दा- नदबई. का हिस्सा सम्पूर्ण कृषि आराजी में से 1/10 खरीद किया था जिसका दि.वी. 1944. दि. 19.2.2000 को हो गया परन्तु सेटलमेन्ट - कार्य चालू होने के कारण बाद में सेटलमेन्ट अधिकारी भरतपुर, सेवट- 2060 बनते समय, मृत बहादुरसिंह के नाम आराजी- बहादुर इन्तकाल - कर दिये गये, जो इन्तकाल सं. 2062-65 के रद्दे हैं इस बाबत तहसीलदार नदबई से जाँच रिपोर्ट के जवाब की पत्रांक LR/21/3408 दि. 21/12/21 के जिरिये गलत तथा अपनी रिपोर्ट में गलत इन्तकाल को सही बताया गया तथा बहादुर आदि के खाते भाव- के स्थान पर तेजसिंह आदि खाते भाव- दि. 1/10 भाव- के स्थान पर तेजसिंह आदि खाते में 1/10 हिस्सा अंकित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का हाल. आ.वा.1. 1525/0.15, 1524/0.15, 1527/0.15, 1526/0.32 आदि नदबई प्रथम - में हाल खाते में बहादुर आदि के खाते भाव- दि. 1/10 भाव- के स्थान पर तेजसिंह आदि खाते भाव- मि. जल्दा- नदबई- को दि. 1/10 हिस्सा किया जाता है तहसीलदार नदबई- आवश्यक नियम पालना की जाकर पालना रिपोर्ट जिरिये पत्रांक जिला कलक्टर भरतपुर

अध्यक्ष
लोक अदालत
भरतपुर

सदस्य
लोक अदालत
भरतपुर